उद्देश्य
फसल कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु **एक मध्यम - दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा जुटाना।** यह वित्त **देश में कृषि अवसंरचना में सुधार करने** के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से जुटाया जायेगा।

हितधारक विशिष्ट उद्देश्य				
किसान	**सरकार**	**कृषि उद्यमी और स्टार्टअप्स**	**बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र**	**उपभोक्ता**
• **फसल कटाई उपरांत नुकसान में कमी, बिचौलियों की कम संख्या और बाजार तक बेहतर पहुंच।** • **बेहतर मूल्य प्राप्ति और आय** • बेहतर उत्पादकता और आगतों के इष्टतमीकरण के लिए सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां।	• **वर्तमान में अव्यवहार्य परियोजनाओं में प्रत्यक्ष प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देना।** • कृषि अवसंरचना में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए **व्यवहार्य सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं।** • **राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय** प्रतिशत को कम करना।	• इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आदि सहित नए युग की **प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना।** • **उद्यमियों और किसानों के बीच सहयोग के लिए बेहतर विकल्प।**	• **बड़ा ग्राहक आधार।** • **कम जोखिम के साथ उधार देना।** • **सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए बड़ी भूमिका।**	• **अक्षमताओं में कमी आने के कारण बेहतर गुणवत्ता और कीमतें।**

मुख्य विशेषताएं	
लाभार्थी	"सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों" व "फसल कटाई उपरांत कृषि अवसंरचना" के निर्माण के लिए किसान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS), किसान उत्पादक संगठन (FPOs), स्वयं सहायता समूह (SHGs), राज्य एजेंसियां/ कृषि उपज विपणन समितियां (APMCs) और अन्य।
पात्र सामुदायिक संपत्ति परियोजना	• निर्यात क्लस्टरों सहित फसलों के क्लस्टरों के लिए **आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना प्रदान** करने हेतु चिन्हित परियोजनाएं; • सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण या फसल कटाई उपरांत प्रबंधन परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के तहत **केंद्र/राज्य/स्थानीय सरकारों या उनकी एजेंसियों द्वारा** प्रोन्नत परियोजनाएं; • **जैविक आगतों का उत्पादन; जैव उद्दीपक उत्पादन इकाइयां; स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए अवसंरचना।**
कार्यान्वयन	• **राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD/नाबार्ड)** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इस पहल का संचालन करेगा।
हालिया संशोधन	योजना की समग्र अवधि को वर्ष 2032-33 तक बढ़ा दिया गया है। प्रारंभ में यह वर्ष 2020 से वर्ष 2029 के लिए थी।

1.3. सुर्ख़ियों में रही अन्य योजनाएं (Other Schemes in News)

1.3.1. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन {Formation and Promotion of 10,000 New Farmer Producer Organizations (FPOs)}*

सुर्ख़ियों में क्यों?

नाबार्ड की सहायक कंपनी NAB संरक्षण ने **किसान उत्पादक संगठनों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGFTFPO)** के लिए एक न्यास विलेख (trust deed) पर हस्ताक्षर किए हैं। 1,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड FPOs के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में रखा जाएगा।